

## अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 (झ) व 243 (म) एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-158 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य का पौचवां राज्य वित्त आयोग गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसमें श्री इन्दु कुमार पाण्डे, सेवा निवृत्त आई.ए.एस. अध्यक्ष के रूप में और निम्नलिखित दो सदस्य/सदस्य सचिव सम्मिलित होंगे:-

- |                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1-डा० एम.सी. जोशी<br>(सेवा निवृत्त आई.ए.एस.)    | सदस्य      |
| 2-श्री भूपेश चन्द्र तिवारी<br>(अपर सचिव, वित्त) | सदस्य-सचिव |

2- आयोग का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

3- राज्य वित्त आयोग पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा तथा श्री राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियाँ देगा:-

(क)- सिद्धान्त, जो संनियमित करेंगे:-

- (i.) राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम, जो संविधान के भाग-9 व 9-क, के अधीन उनमें विभाजित किये जाने हैं, या विभाजित किये जाएं, के वितरण के बारे में और उक्त सभी स्तरों की पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी अंश के आबंटन के बारे में;
  - (ii.) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों, जिन्हें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशन किया जाना है अथवा जिन्हें उनके द्वारा हस्तगत किया जाना है, के अवधारण के बारे में;
  - (iii.) राज्य सरकार की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में;
- (ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में;
- (ग) कोई अन्य विषय, जिन्हें राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।
- (घ) शहरीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति की रूपरेखा इंगित करते हुए शहरी, शहरों से लगे अर्धशहरी/ शहरीकृत क्षेत्रों एवं जनगणना कस्बों में बुनियादी ढाँचागत

सुविधाओं की स्थिति का आकलन और उसमें आवश्यकता के सापेक्ष कमी को चिन्हीकृत करने के साथ उनकी अभिवृद्धि/ सुधार के लिये उपाय हेतु सुझाव।

(ड.) पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन और उनमें शासन और क्रियान्वयन में सुधार के उपाय हेतु सुझाव।

4- राज्य वित्त आयोग अपनी संस्तुतियां देने में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगा:-

(क) राज्य सरकार के राजस्व स्रोत क्या हैं और उनसे अपेक्षाएं क्या हैं, विशेषकर नागरिक प्रशासन व ऋण सेवा पर होने वाला व्यय और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्व;

(ख) उपयुक्त स्तर पर पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गये कार्य और अनुच्छेद 243-छ तथा 243-ब के अन्तर्गत उन्हें सौंपी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित उनके दायित्वों पर होने वाली देयता;

(ग) सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाने की क्षमता के आधार पर अगले पांच वर्षों के लिए राजस्व संसाधन तथा अतिरिक्त संसाधन एकत्रित करने के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य और इस दिशा में किये गये कर प्रयास;

(घ) अन्तरित की जाने वाली राशि के सापेक्ष पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुरूप प्रयास;

(ड.) वित्तीय प्रबन्ध में सुधार के साथ ही साथ संगठनात्मक ढाँचे को सरलीकृत करने की सम्भावना, जो प्रशासन में दक्षता और व्यय में मितव्ययता के सुसंगत हों;

(च) पूंजीगत परिसम्पत्तियों का रख-रखाव व अनुरक्षण और उन योजनाओं पर अनुरक्षण व्यय जो इन निकायों को सौंपी गई हो व जो दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण हो जाये।

(छ) आयोग नगरीय स्थानीय निकायों व सभी स्तरों पर पंचायतों की दिनांक 31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान ऋण स्थिति का आकलन करेगा और ऐसे सुधारात्मक उपाय बतायेगा, जो राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक समझे जायें।

(ज) आयोग इस प्रश्न पर भी अपनी सुस्पष्ट संस्तुति देगा कि यदि वित्तीय संवितरण की नई व्यवस्था के बाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध धनराशि राजस्व पक्ष के लिए पूरी नहीं पड़ती तो उसकी प्रतिपूर्ति राजस्व एवं पूँजी पक्ष दोनों के व्यय के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार हो ; तथा

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा कर्मियों के आकार का सही निर्धारण।

5- राज्य वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी सूचना अथवा अभिलेख को मांग सकता है;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है;

(ग) राज्य वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जैसी नियत की जाएं।

6- राज्य वित्त आयोग पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर 01 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी में दोनों भाषा में उपलब्ध करायेगा।

7- सोलहवें वित्त आयोग के लिए मुद्दों का चिन्हीकरण।

आज्ञा से तथा राज्यपाल,  
उत्तराखण्ड के नाम से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, वित्त।

संख्या: 780/XXVII (1)/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड सरकार।
10. निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
12. संयुक्त, निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस निर्देश के साथ कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशित किया जाय।
13. समस्त मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, गैर निर्वाचित नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
15. समस्त अनुभाग, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव, वित्त।